

उपखण्ड अधिकारी
कतेहपुर सीकर (जिला)

—



उपस्थित अधिकारी
श्री राजेश चौधरी - बादी

दावा बाबत उदधीषणा/संशोधन खाता व विमानन

प्रतिवादीनाम

1. रामकरण पुत्र बृजमोहन जाति जाट निवासी ग्राम अलकसर तहसील कतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।
2. जीधरज उर्फ जीनन्द पुत्र नौरंगा जाति जाट निवासी ग्राम अलकसर तहसील कतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।
3. राकेश पुत्र नौरंगा जाति जाट निवासी ग्राम अलकसर तहसील कतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।
4. राजेन्द्र पुत्र नौरंगा जाति जाट निवासी ग्राम अलकसर तहसील कतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।
5. रति बेवाह नौरंगा जाति जाट निवासी ग्राम अलकसर तहसील कतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।
6. प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बेसवा तहसील कतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।
7. तहसीलदार व सहायक स प्रबन्धक अधिकारी कतेहपुर तहसील कतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।

बनाम

वादीनाम

1. यशपाल सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जाट निवासी ग्राम अलकसर तहसील कतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।
2. अमरचन्द दत्तक पुत्र भावानाराम जाति जाट निवासी ग्राम अलकसर तहसील कतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।
3. साना उर्फ श्यामा देवी पत्नी स्व. भावानाराम जाति जाट निवासी ग्राम अलकसर तहसील कतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।

मुकदमा नम्बर - 13/2018

देन सीमा आर.ए.एस.

वादीनाम अधिकारी का नाम-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कतेहपुर (सीकर)

उपरोक्त अधिकांशी
कतहपुर सीकर (राज.)

12



इस निम्न वाद कारण व हक नालिस वादीगण को हासिल है।
खातेदारी संशोधित नहीं की करवायी अतः उनके विपरीत यह वाद संस्थित करना आवश्यक
व खाते के संशोधन करवा देने को कई बार निवेदन किया किन्तु उन्होंने आज तक
वादीगण ने प्रतिवादीगण को उनके भौतिक कब्जे काहेत अनुसार विमानन कर लेने
जावे।

22 हैक्टयर का खाता व लगान प्रतिवादीगण 01 ता 05 के नाम अलग से निर्धारित किया
परिचामी और के रकबा 0.22 हैक्टयर तथा खसरा नंबर 124 के परिचामी और के रकबा 0.
हैक्टयर, खसरा नंबर 119 के सम्पूर्ण रकबा 1.62 हैक्टयर तथा खसरा नंबर 123 के
संख्या 01 ता 05 के भौतिक कब्जे अनुसार खसरा नंबर 52/2 के स्थान पर प्रतिवादी
के नाम अलग से निर्धारित किया जावे तथा खसरा नंबर 118 के सम्पूर्ण रकबा 0.06
123 में से पूर्वी और के रकबा 0.63 हैक्टयर का खाता व लगान वादीगण संख्या 02 व 03
0.08 हैक्टयर, खसरा नंबर 124 में से पूर्वी और के रकबा 0.62 हैक्टयर तथा खसरा नंबर
खसरा नंबर 121 के सम्पूर्ण रकबा 0.31 हैक्टयर, खसरा नंबर 122 के पूर्वी और के रकबा
वादी संख्या 02 व 03 के खसरा नंबर 52/3 के स्थान पर वादीगण के कब्जे अनुसार
रकबा 0.78 हैक्टयर का खाता व लगान वादी संख्या 01 के नाम निर्धारित किया जावे तथा
हैक्टयर, खसरा नंबर 123 के मध्य के रकबा 0.78 हैक्टयर व खसरा नंबर 124 के मध्य के
कब्जे काहेत अनुसार खसरा नंबर 122 रकबा 0.16 हैक्टयर के परिचामी और के रकबा 0.08
अनुसार विमानन किया जाकर वादी संख्या 01 के खसरा नंबर 52/1 के स्थान भौतिक
संशोधन में डिलीट नहीं किया जा सकता है अतः नवीन खसरा नंबरों का नक्शा देस के
52/1,52/2,52/3 के नवीन खसरा नंबर अंकित कर दिये गये है और खसरा नंबर
अलग नंबर दर्ज कर खातेदारी अंकित कर दी गई थी कि खसरा नंबर
उक्त भूमि खसरा नंबर 52 का बहुत पहले विमानन होकर पक्षकारान को अलग

प्रतिवादीगण के भौतिक कब्जे काहेत अनुसार संशोधित करवाने के अधिकांशी है।
नाम उदघोषित करवाने के अधिकांशी है तथा उक्त भूमियों की खातेदारी वादीगण व
हैक्टयर तथा खसरा नंबर 124 के पूर्वी और के रकबा 0.62 हैक्टयर की खातेदारी अपने
122 के पूर्वी और के रकबा 0.08 हैक्टयर खसरा नंबर 123 के पूर्वी और के रकबा 0.63
1.64 हैक्टयर के वर्तमान खसरा नंबर 121 के सम्पूर्ण रकबा 0.31 हैक्टयर, खसरा नंबर
उदघोषित करवाने का अधिकांशी है तथा वादी संख्या 02 व 03 खसरा नंबर 52/3 रकबा
द्वि भाग तथा खसरा नंबर 124 के मध्य के रकबा 0.78 हैक्टयर की खातेदारी अपने नाम
के रकबा 0.78 हैक्टयर भूमि भाग तथा खसरा नंबर 124 के मध्य के रकबा 0.78 हैक्टयर
नंबर 122 के परिचामी और के 1/2 हिस्सा अर्थात 0.08 हैक्टयर, खसरा नंबर 123 के मध्य
वादी संख्या 01 भूमि खसरा नंबर 52/1 रकबा 1.64 हैक्टयर के वर्तमान खसरा

आपका अधिकारी
 कर्मचारी अधिकारी (नाम)

(Handwritten signature)

नहीं।

नोट - इस खर्च के काम पर कुल खर्च हर दो पुरीकत का चाहे हिगरी के जरिये दिखाया गया हो या

श्री	रुपया	श्री	रुपया
मुदयलह	-	मुदयलह	-
स्वाम अर्वा दावा	-	स्वाम अर्वा दावा	-
स्वाम कालत नामा	1	स्वाम कालत नामा	-
स्वाम वलह सवत	-	स्वाम वलह सवत	-
महनागा वकील	-	महनागा वकील	-
खर्च गवाहन	-	खर्च गवाहन	-
फीस कमिशनर	-	फीस कमिशनर	-
ववल इलयय हुमनामा	-	ववल इलयय हुमनामा	-
मुदयलह	-	मुदयलह	-
फीस	-	फीस	-